Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Volume-3, Issue-5, Nov-2013 Available online at www.lbp.world

GRT

प्रशासकीय तंत्र पर होने वाले राजनितिक अपराधीकरण का प्रभाव

वासुदेव शेट्टी
सह प्राध्यापक, हिंदी विभाग, सरकारी महिला कोलेज मंड्या.

सार:
राजनीति के अपराधीकरण की तीव्र प्रक्रिया ने पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया को तेजी से चिंतित किया है। भारत के विभिन्न प्रांतों में हत्यारी राजनीति की संस्क्ति बदस्तूर जारी रही। जैसे-जैसे राजनीति का अपराधीकरण चरम पर पहुंचा, देश में उग्रवाद का एक नया अध्याय तेजी से शुरू हुआ।

परिचय:

देश के विभिन्न क्षेत्रों में चरमपंथी संगठनों की ताकत बढ़ने लगी। नॉर्थ-ईस्ट ट्राइबल फोर्स और ULFA, NSCN जैसे संगठन उत्तर-पूर्वी प्रांतों में उभरे, जबकि जम्मू-कश्मीर में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, फ्री कश्मीर मिलिट्री और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन आर्मी जैसे उग्रवादी संगठनों को ताकत मिली। ज्यादा नहीं, दिसंबर १९८९ से अप्रैल १९९० के बीच घटी घटनाओं का एक नमूना ही बता देगा कि देश में आतंकवाद ने कितना भयानक सिर उठा रखा है। ८ दिसंबर १९८९ को केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी डॉ. मुफ्ती मोहम्मद सईद। रुबिया सईद का श्रीनगर में आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था ताकि वे जेल में बंद कुछ सबसे खूंखार अपराधियों को बिना शर्त रिहा कर सकें। आखिरकार १२ दिसंबर १९८९ को वीपी सिंह की सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी को छुड़ाने के लिए पांच उग्रवादियों को जेल से रिहा करना पड़ा। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने डॉ. रूबिया को छोड़ दिया. १८ दिसंबर, १९८९ को आतंकवादियों ने पंजाब में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके तुरंत बाद, २४ दिसंबर १९८९ को पंजाब में आतंकवादियों ने १५ लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के ठीक चार दिन बाद यानी २८ दिसंबर १९८९ को तत्कालीन अकाली दल के सांसद जगदेव सिंह खुडियान का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था।

जनवरी १९९० में भी देश में स्थिति कमोबेश ऐसी ही थी। १ जनवरी १९९० को, आतंकवादियों के एक समूह ने श्रीनगर में कई कार्यालयों पर बमबारी की। फिर २ जनवरी १९९० को श्रीनगर में भी आतंकियों ने बमबारी की। वहीं २ जनवरी १९९० को अपहृत अकाली सांसद जगदेव सिंह खुडियान की लाश पंजाब में मिली थी। ७ जनवरी १९९० को आतंकियों ने दिल्ली में संसद भवन के गेट नंबर २ को ब्लास्ट कर एक तरह से केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी थी. इस बीच पंजाब से लेकर कश्मीर तक कई वीभत्स घटनाएं हुईं, १५ जनवरी १९९० को आंध्र प्रदेश में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य राघवेंद्र रेड्डी की नक्सलियों ने हत्या कर दी. फिर २४ जनवरी १९९० को श्रीनगर में आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के चार जवानों की हत्या कर दी। २९ जनवरी, १९९० को पंजाब राज्य भाजपा के महासचिव गुरबचन सिंह पतंगा की हत्या कर दी गई थी। १२ फरवरी, १९९० को श्रीनगर दूरदर्शन केंद्र के निदेशक कौल का निधन हो गया। १९ फरवरी १९९० को, नागालैंड के कांग्रेसी मुख्यमंत्री एससी जमीर पर कोहिमा में आतंकवादियों ने क्रूरता से हमला किया, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। जमीर पर पहले भी हमला हो चुका था। ८ मार्च, १९९० को पंजाब के तरनतारन में आतंकवादियों ने दस लोगों की हत्या कर दी थी।

९ मार्च १९९० को श्रीनगर में चार खुफिया अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया था। १४ मार्च १९९० को कश्मीर के आदरणीय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला के घर में आग लग गई। इतना ही नहीं, २४ मार्च,

१९९० को एक बुजुर्ग कश्मीरी कम्युनिस्ट नेता अब्दुल सत्ता राजोर और पुलिस उपाधीक्षक, होमगार्ड गुलाम हसन की हत्या कर दी गई थी। साथ ही पूर्व विधायक मुस्तफा की भी जान चली गई। २७ मार्च, १९९० को श्रीनगर जेल से १२ आतंकवादी भागने में सफल रहे। ९ अप्रैल, १९९० को कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीर-उल-हक और एचएमटी के महाप्रबंधक एचएल खेड़ा की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। १९९० के दशक के दौरान, प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह ने एक राष्ट्रीय पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में, भारत में उग्रवाद की समस्या पर चर्चा की। पंजाब और कश्मीर। निष्पक्ष टिप्पणी। खुशवंत सिंह ने कहा कि पंजाब की उग्रवाद की समस्या सिखों की 'पहचान के संकट' की समस्या है. खुशवंत सिंह ने कश्मीर समस्या की जड़ का विश्लेषण करते हुए कहा कि कश्मीर की समस्या पंजाब से अलग है। कश्मीर में दिक्कतें १९४७ के बाद यानी आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थीं। इस अवधि के दौरान कश्मीर में सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कश्मीर के महान नेता शेख अब्दुल्ला की ग्यारह साल की कैद थी। कश्मीर में लोकतंत्र कभी ठीक से पनप नहीं सका।

क्षेत्रीय राजनीति का देश पर प्रभाव:

खतरा भीतर से था, जो भारत में बाहरी देशों से भी आ रहा था। अलगाववादी राजनीति ने पंजाब, कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड को बर्बाद कर दिया। पहचान के संकट के नाम पर क्षेत्रवाद की कुत्सित राजनीति ने देश को कहीं का नहीं छोड़ा है। बोफोर्स, फेयरफैक्स से लेकर हर्षद मेहता कांड तक, देश को एक बड़े घोटाले के रूप में बताया जाता रहा, लेकिन उससे भी गंभीर समस्या देश को बांटने वाली राजनीति थी, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया. पंजाब का ही सवाल लीजिए। खुशवंत सिंह ने इसे सिखों की 'पहचान का संकट' करार दिया है। लेकिन इस मुद्दे की पड़ताल करने के लिए हमें ब्रिटिश शासन की ओर लौटना होगा। उस दौरान अंग्रेजों ने समय-समय पर धर्म के आधार पर जनगणना कराई थी। उन दिनों पंजाब के जनगणना आयुक्त को पंजाब में सिखों और हिंदुओं के बीच अंतर करने में व्यवस्थित असुविधा महसूस हुई। इसीलिए १८९१ की जनगणना में उन्होंने कहा कि सिख वही हैं जो खालसा हैं। यानी गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित आदेश के अनुयायी। इस प्रकार १९०१ की दूसरी जनगणना के समय पंजाब के जैन और सिखों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई जो अपनी पहचान को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में, ऐसे जैन और सिखों को तत्कालीन जनगणना में 'जैन-हिंदू' और 'सिख-हिंदू' के रूप में दर्ज किया गया। १९३१ में इस नीति ने फिर खतरनाक मोड़ ले लिया। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस समय कोई भी सिख-हिंदू के रूप में पंजीकृत नहीं होगा। या तो कोई खुद को केवल एक हिंदू के रूप में पंजीकृत करता है या केवल एक सिख के रूप में। अब नहीं चलेगा 'सिख हिंदुओं' का मामला।

हिमाचल में सुखद शीतकालीन राजनीतिक माहौल भी कई बार कठोर हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, जब वीरभद्र सिंह कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश में दादासीबा नामक एक विनम्र महल की रजनी भाग्यवती ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सिंह पर आरोप लगाया कि वीरभद्र ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालाँकि, वीरभद्र सिंह ने उस समय स्पष्ट किया था कि उनके राजनीतिक रूप से विकृत विरोधियों ने उनके चरित्र को बदनाम करने के लिए रानी भाग्यवती जैसी अशिष्ट महिला को अपना मोहरा बना लिया था।

आंध्रप्रदेश में पीपुल्सवार ग्रुप का प्रभाव:

आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की सरकार के दौरान कांग्रेस विधायक वागविथि मोहन रंगा राव की हत्या के मामले पर भी चर्चा हुई. आंध्र प्रदेश की अधिकांश सरकारें पीपल्स वार ग्रुप की जुझारू गतिविधियों से लगातार पीड़ित थीं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो उनके परिवार को आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप ने धमकी दी थी। नरसिम्हा राव के प्रधान मंत्री बनने के तुरंत बाद, पीपुल्स वार ग्रुप ने उनके वांगारा गांव पर छापा मारा और ग्रामीणों को चेतावनी दी कि राव के खेत पर काम करने के गंभीर परिणाम होंगे। पीपुल्स वार समूह के नक्सलियों ने आरोप लगाया है कि प्रधान मंत्री के परिवार के पास अभी भी उनके वांगारा गांव में बेहिसाब जमीन है, जो भूमि सुधार अधिनियम का मजाक उड़ा रहा है। देश की आजादी के बाद से भूमि सुधार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख राजनेताओं की उदासीनता ने भी अपराध को बढ़ावा दिया है।

आंध्र के नक्सली हों या बिहार के नक्सली, जिन्होंने भूमि सुधार के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किया, वे सभी भूमि सुधार के मुद्दे पर बेहद आक्रामक रुख अपना रहे थे. जमींदार पृष्ठभूमि के राजनेता, जो कमोबेश आंध्र से लेकर बिहार तक सत्ता में थे, विभिन्न नक्सली गुट यह दिखाने के लिए भूख हड़ताल पर चले गए कि उनके सिंहासन के नीचे भूमि सुधार अधिनियम को दबाया नहीं जा सकता।

असम भी अलगाववादी-राजतंत्रवादी राजनीतिक आंदोलनों से त्रस्त रहा है। बोडो और उल्फा उग्रवादी लंबे समय से असम में कहर बरपा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के भाई की हत्या, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वराजपाल के भाई की १९९० में असम में हत्या जैसी घटनाओं ने असम के जीवन की कहानी को रंग दिया है। १९९१ में, जब हितेश्वर सैकिया ने असम में कांग्रेस सरकार को फिर से स्थापित किया, तो चरमपंथी तत्वों ने सैकिया सरकार पर हमला किया। १ जुलाई, १९९१ के उस दिन उल्फा उग्रवादियों द्वारा एक वरिष्ठ सरकारी आईएएस अधिकारी, ओएनजीसी के एक इंजीनियर और एक रूसी इंजीनियर का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के बाद आतंकवादियों ने रूसी इंजीनियर सर्गेई ग्रिचेंको की भी हत्या कर दी थी। सत्ता में वापस आने के बाद उग्रवादियों से तंग आ चुके मुख्यमंत्री सैकिया ने उसी समय यह घोषणा कर दी कि यदि उल्फा उग्रवादी रास्ता अपनाने को तैयार हैं तो वे सरकार का कर्ज माफ करने को भी तैयार हैं, लेकिन सैकिया की अपील को अनसुना कर दिया गया. भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में, इस विकट स्थिति का मुकाबला करने के लिए, केंद्र ने कुछ साल पहले असम में चलाए गए ऑपरेशन बजरंग की तर्ज पर उल्फा उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गैंडे की घोषणा की। ऑपरेशन गैंडा एक सैन्य अभियान था जिसने असम में उल्फा उग्रवादियों की गतिविधियों पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री सैकिया ने कहा था कि उल्फा की गतिविधियों को भारत विरोधी विदेशी ताकतों द्वारा भारत को कमजोर करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए. सैकिया ने दावा किया कि उल्फा आतंकवादी शिविर की शाखाएं लंबे समय से बांग्लादेश में सक्रिय हैं और वहां से वे पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। सैकिया ने कहा कि वह कश्मीर और पंजाब में भी आतंकियों के संपर्क में था। १९९१ में, मध्य प्रदेश के तत्कालीन भाजपा मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्यामा चरण शाकल ने भी कहा था कि आंध्र से संचालित उग्रवादी संगठनों के 'विदेशी संबंध' हैं। वे भारत में अराजकता पैदा करने वाले क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं। १९९१ में पंजाब के माधो सिंह और अमरजीत सिंह को मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों आतंकवादी नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री एसबी चव्हाण की बेटी स्नेहलता पाटिल का अपहरण करने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनके आवास पर गए थे। सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता के चलते ये दोनों आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और सीधे इंदौर के लिए रवाना हो गए. अगर ये उग्रवादी उस दिन स्नेहलता का अपहरण करने में सफल हो जाते तो यह देश के गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की दूसरी घटना होती.

यहां तक कि गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य भी आपराधिक राजनीति से त्रस्त नहीं हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए भयानक दंगों में अब्दुल लतीफ का नाम किसी से छिपा नहीं है. इसके अलावा, जब उसी अब्दुल लतीफ ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनावों में एक साथ पांच सीटों के लिए आवेदन किया, तो उन्होंने सभी पांच सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन अहमदाबाद ही नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर राजनीतिक तत्वावधान में गैंगस्टरों और गिरोहों के बीच खूनी संघर्ष के कारण अक्सर सुर्खियों में रहा है। गुजरात के राजनीतिक दिग्गज चिमन भाई पटेल, दल-बदल के मास्टर, १९७३ में गुजरात के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री बने। उसके भ्रष्ट शासन काल में आपराधिक प्रवृत्तियों को बहुत प्रोत्साहन मिला। वही चिमनभाई सोलह साल की लंबी अवधि के बाद जनता दल सरकार में फिर से मुख्यमंत्री बने और अंत में दल बदल कर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। विभिन्न प्रान्तों में दल-बदल की राजनीतिक विडम्बना ने भी राजनीति में अपराधी तत्वों की स्थिति को बढ़ा दिया। इसके प्रमुख उदाहरण हरियाणा, गुजरात आदि राज्य हैं। बिहार की तरह गुजरात में भी राजनीतिक हत्याओं की घटनाएं होने लगीं। ९ अक्टूबर, १९९२ को गुजरात के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता रऊफ वली उल्लाह की अहमदाबाद में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। रऊफ की हत्या के बाद कयासों का दौर तेज हो गया था। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि रऊफ वलीउल्लाह को मुख्यमंत्री चिमन भाई के कारनामों के खिलाफ एक व्यापक ज्ञापन तैयार

करना था और दो दिन बाद दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को देना था, इससे पहले कि वह अपनी जान गंवा बैठे। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि रऊफ की हत्या में अहमदाबाद का एक शातिर अपराधी अब्दुल लतीफ शामिल था।

हालांकि कांग्रेस नेता रऊफ वलीउल्लाह की यह राजनीतिक हत्या गुजरात में राजनीतिक हत्या की पहली घटना नहीं है. वल्लभभाई पटेल, गुजरात में गुजरात सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, सत्य और अहिंसा के पुजारी, राज्य कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक भोगीलाल पटेल, विधायक पोपटलाल सोर्थिया, भीमाजीभाई कलावडिया, डॉ. आदि राजनीतिक हत्या के शिकार थे। और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। अक्टूबर १९९२ में, गुजरात में राजकोट वंश के उत्तराधिकारी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री मनोहर सिंह जडेजा पर भी रऊफ वलीउल्लाह की हत्या के बाद अपराधियों ने हमला किया था। लेकिन किसी तरह मनोहर सिंह जडेजा उस फायरिंग में बच निकले. गौरतलब है कि मनोहर सिंह, जो चिमन विरोधी कांग्रेसी नेता भी थे, अक्सर चिमनभाई के खिलाफ शिकायत लेकर दिल्ली जाते थे। अपने ऊपर हुए हमले के बाद नाराज मनोहर सिंह जडेजा ने कहा था- 'बिहार गुजरात में भी हो रहा है.' कर्नाटक में भी राजनीति में अपराधियों का दबदबा कायम रहा। कर्नाटक दंगों को लेकर एक मंत्री सीएम इब्राहिम अक्सर सुर्खियों में रहते थे। कर्नाटक का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र हमेशा बॉम्बे के कुख्यात माफिया डॉन और अनुभवी राजनेताओं के बीच संबंधों से परेशान रहा है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर से कांग्रेस विधायक पप्पू कालानी से लेकर महाराष्ट्र की वसई विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक हितेंद्र ठाकुर तक, ये विधायक कई हत्याओं में शामिल थे. हालांकि विधायक हितेंद्र ठाकुर ने ५ दिसंबर १९९२ को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक एस. राममूर्ति से साफ कहा - Þदेखो, मुझे कुछ नहीं होगा।Þ मिर्जाजी मस्तान जैसे लोग अरबों-खरबों में खेलने लगे। सोने की तस्करी का अड्डा। मुंबई में इन सोने के तस्करों, डॉनों की वृद्धि के बारे में, राजनीतिक विश्लेषकों की स्पष्ट राय है कि जिस दिन से मोरारजी देसाई ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में देश में सोने को नियंत्रित करने का फैसला किया, तब से यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान, वरदराजन जैसे तस्करों ने सोने के तस्करों को अपने कब्जे में ले लिया है। मुदलियार और सुकुर नारायण बाखिया तेजी से फले-फूले।

निष्कर्ष:

वाकई, हालात बद से बदतर होते चले गए। राजनीति के अपराधीकरण ने देश के लगभग सभी प्रांतों को इतनी तेजी से अपने आगोश में ले लिया है कि देश की जनता को अपराध और उग्रवाद के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। इस बीमारी ने गोवा जैसे छोटे प्रांत को भी नहीं बख्शा है। चर्चिल अलेमाओ, जो कभी एक शिपिंग कंपनी में एक कनिष्ठ कर्मचारी थे, बाद में गोवा में सत्ता में आए, लेकिन उन पर कई जघन्य अपराधों का आरोप लगाया गया। अलेम्स पर अपहरण, एनकाउंटर, जमीन हड़पने जैसे कई आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थिति सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में भारत में अपराध की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। बढ़ते अपराध को छिपाने के लिए शासकों ने प्रभावी ढंग से कई तरीके आजमाए। भारत के लगभग सभी थानों को सख्त हिदायत दी गई थी कि अपराध सूची हर समय नियंत्रित तरीके से जमा करें। इसलिए पुलिस अपराधों की संख्या कम करने के लिए एफआईआर दर्ज करने में झिझकती थी। राज्य सरकारें हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक रहती हैं कि उनके राज्यों में अपराध की घटनाएं जनता की नजरों में न आएं। इस स्थिति का पुलिस द्वारा भी दुरुपयोग किया जाने लगा। एफआईआर दर्ज कराने के नाम पर खुले आम पैसे लेने लगे। राजनीति ने हिंसा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके समाज को अपराधी बनाना जारी रखा और साथ ही समाज की सांस्कृतिक चेतना को नष्ट करने के अभियान को तेज कर दिया।

संदर्भ:

१. भार्गवा, जी. एस.: पॉलिटिक्स करप्शन इन इंडिया, पॉपुलर बुक सर्विसेज, नई दिल्ली, १९६७ पृ. - ३६-४२
२. भार्गवा, जी. एस.: ऑफ्टर नेहरू, इंडिया न्यू इमेज, एलॉयड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, १९६६ पृ. २८-३२

३. भीखू, पारिख (एडीटेड) एंड बर्की, आर. एन. : दी भोरेलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, जार्ज एलेन एंड अनविन लिमिटेड, लंदन, १९७२ पृ. ५२-५७
४. ब्रोगेन, डी. डब्ल्यूल पॉलिटिक्स एंड लॉ इन दि यूनाईटेड स्टेट्स यूनीवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, १९९४ पृ.६४-६९
५. कानोलो, ई. विलियम : पॉलिटिक्स एंड ऐम्बीगुइटी, दि युनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन प्रेस, १९६७ पृ.६८-७०
६. कार्डोजो, बी.: दि नेयर ऑफ ज्येडीशियल प्रासेस, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, हेवेन, १९२१ पृ. ७३-७६.
७. कॉक्स, आर्चीबाल्ड : दि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका गवर्नमेंट क्लेरेन्डॉन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, १९७६ पृ. ४२-४७